



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग हेतु

सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर तथा सहायक प्रोग्रामर के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक

07/2025/ 16.10.2025

ऑनलाइन आवेदन करने की

अंतिम तिथि 30.11.2025

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-

पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 08.12.2025

महत्त्वपूर्ण

- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग हेतु सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर तथा सहायक प्रोग्रामर के पद पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता / कार्यानुभव तथा अन्य आवश्यक अर्हताएं इस विज्ञापन की कंडिका -दो में उल्लेखित है।
रोज़गार पंजीयन -
(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोज़गार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
(ग) मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं, को निम्नानुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी :-
 - शासकीय सेवकों हेतु :- विभाग / कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र।
 - अशासकीय सेवकों हेतु :- संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र।उपरोक्त प्रमाण - पत्र साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2025 से दिनांक 30.11.2025 www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 08.12.2025 तक जमा कराएं। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।
- आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 06.11.2025 से दिनांक 02.12.2025 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी / वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके।

सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के निम्नलिखित पद की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल
1	सिस्टम एनालिस्ट (संविदा)	01	निरंक				01
2	प्रोग्रामर	01					01
3	सहायक प्रोग्रामर	01					01

दो

पद का विवरण

01	पद का नाम	:	सिस्टम एनालिस्ट (संविदा)
	श्रेणी	:	द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	संविदा
	वेतनमान	:	Level 10 As per Samvida Rule
	पद हेतु अर्हताएं	:	(1) शैक्षणिक अर्हता:- बी.ई. (कम्प्यूटर साईंस / आई.टी.) / बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस /आई.टी.) /एमसीए (2) अनिवार्य अनुभव:- ➤ प्रोग्रामिंग का पंजीकृत संस्थान / शासकीय संस्थान / स्वशासी संस्था में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव। ➤ उपरोक्त पद हेतु केवल प्रोग्रामिंग का अनुभव ही मान्य होगा, शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन एवं Software Support का अनुभव इत्यादि मान्य नहीं होंगे।
	अधिमान्यता	:	अंतिम चयन के समय समान अंक होने की स्थिति में अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित कार्यों तथा आयोग के अनुभागों के लिए इन-हाउस आवश्यक प्रचलित कार्यों के आटोमेशन के लिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य / रिपोर्ट्स जनरेशन /टेस्टिंग एवं उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना एवं प्रबंधन का कार्य सम्पादित करना इत्यादि ।
01	पद का नाम	:	प्रोग्रामर
	श्रेणी	:	द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	9300-34800 + 4200
	पद हेतु अर्हताएं	:	(1) शैक्षणिक अर्हता:- बी.ई. (कम्प्यूटर साईंस / आई.टी.)/ बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस /आई.टी.) /एमसीए (2) अनिवार्य अनुभव:- ➤ पी.एच.पी. या जावा प्रोग्रामिंग का पंजीकृत संस्थान / शासकीय संस्थान / स्वशासी संस्था में न्यूनतम 02 वर्ष का कार्यानुभव। ➤ उपरोक्त पद हेतु केवल प्रोग्रामिंग का अनुभव ही मान्य होगा, शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन एवं Software Support का अनुभव इत्यादि मान्य नहीं होंगे।

	अधिमान्यता	:	अंतिम चयन के समय समान अंक होने की स्थिति में अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित कार्यों तथा आयोग के अनुभागों के लिए इन-हाउस आवश्यक प्रचलित कार्यों के आटोमेशन के लिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य / रिपोर्ट्स जनरेशन / टेस्टिंग एवं उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना एवं प्रबंधन का कार्य सम्पादित करना इत्यादि।
02	पद का नाम	:	सहायक प्रोग्रामर
	श्रेणी	:	तृतीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	9300-34800 + 3600
	अनिवार्य अर्हता	:	बी.ई. (कम्प्यूटर साईंस / आई.टी.) / बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस/ आई.टी.) / एमसीए
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बंधित कार्यों तथा आयोग के अनुभागों के लिए इन-हाउस आवश्यक प्रचलित कार्यों के आटोमेशन के लिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य / रिपोर्ट्स जनरेशन / टेस्टिंग एवं उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना एवं प्रबंधन का कार्य सम्पादित करना इत्यादि।
	शिथिलीकरण	:	आयोग द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर एवं आवश्यकता के दृष्टिकोण से उक्त विज्ञापन में वर्णित किसी भी कंडिका को संशोधित/ विलोपित/ शिथिलीकरण करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है जो आवेदनकर्ता के लिए बंधनकारी होगा।

तीन अन्य अर्हता : विशेष:

- (1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
- (2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र / सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप- उक्त पद केवल अनारक्षित श्रेणी के हैं अतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी किन्तु उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

तीन मध्य प्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

- अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
- ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

चार महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन

पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

पांच आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

छ: आयु संगणना तिथि 01.01.2026

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

सात चयन प्रक्रिया :-

1. चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। किसी भी पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -
(क) उपरोक्त पद हेतु चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर होगा। अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापन में उल्लेखित समस्त अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थियों में से 12 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अभ्यर्थियों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है।
(ख) साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 है तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक 41 है।
(ग) अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।
2. किसी भी पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।
3. लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

आठ चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

नौ आवेदन प्रक्रिया:- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

दस विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, चयन परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (1) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-1
- (2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -2
- (3) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट - 3

Ravi
सचिव

(एक) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट

- (1) मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/ दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी ।
- (2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है "मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें

- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप:- (1) परिशिष्ट -1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

- | | |
|--------|---|
| नोट :- | <p>(01) उपरोक्त <u>परिशिष्ट -1</u> (एक) (1 से 2) तथा (दो) (1 एवं 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।</p> <p>(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।</p> |
|--------|---|

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

- 1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्रनिम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
 1. www.mponline.gov.in
 2. mppsc.mp.gov.in
- 2- आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- 3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइल तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्कैनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
 1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
 2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
 3. यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
 4. टोपी हैट तथा डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
 5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
 6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
- 5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
- 6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
- 7- आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8-

त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 06.11.2025 से 02.12.2025 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु रु. 500 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

9-

आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

- (1) आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in के Download Formate लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छाया प्रति करायें।
- (2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें (देखें बिन्दु-8)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)
- (3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 07/2025 दिनांक 16.10.2025
सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर तथा सहायक प्रोग्रामर
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पद हेतु आवेदन-पत्र
प्रति,
सचिव
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्य प्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक:
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

- (4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 08.12.2025 को सायंकाल 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10-

विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु.500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
शुल्क वापसी:- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन - 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्य प्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)

ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,

अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम. पी. नगर,

भोपाल-462011 हेल्पलाइन - 0755-6720200

3- आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 (रात्रि 12:00 बजे) है। अंतिम तिथि को निर्धारित समय के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन से संबन्धित पंजीकरण प्रमाण-पत्र लागू होने पर साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि ।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं _____ आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07/2025 दिनांक 16.10.2025 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/ _____ जिला _____, मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं _____ जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- _____

हस्ताक्षर-_____

नाम-_____

आवेदन-पत्र क्रमांक _____

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचय (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :- (लिखित परीक्षा संबंधी अनुदेश लिखित परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

- 05 ऐसे चयन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
- 06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
- 07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
- 08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
- 09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
- 10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्यवहार,
- 11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरह ठहराया जा सकेगा और/ या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
- (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
- (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

- 7- अनर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश हेतु अनुसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान लिखित परीक्षा की स्थिति में केन्द्राध्यक्ष तथा साक्षात्कार स्तर पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

- (01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
- (02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर, एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. उक्त पद के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा। यदि निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है जो आयोग द्वारा उसे मान्य नहीं किया जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियाँ पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
6. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही समस्त आवेदकों को अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि की हार्ड कॉपी की स्व-प्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। आयोग को दस्तावेज भेजने की तिथि तक किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक EWS पात्रता का लाभ लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही उक्त श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन पर प्रस्तुत करें।

संलग्न दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट प्रपत्र - 01

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक:- 07/2025 दिनांक 16.10.2025

परीक्षा का नाम:- सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर तथा सहायक प्रोग्रामर के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2025

आवेदक का नाम :-

रोल नम्बर :-

स.क्र.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संचयी योग
1.	उपस्थिति पत्रक - 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
2.	व्यक्तिगत विवरण - 01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (05 छायाप्रति पृथक से प्रस्तुत करना है एवं छायाप्रति में नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
3.	अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
4.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (डिबार) नहीं होने संबंधी) - 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
5.	हाईस्कूल की अंकसूची ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
6.	हायर सेकण्डरी की अंकसूची ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
7.	स्नातक / संबंधित अर्हता की समस्तक वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
8.	अनुभव	पृष्ठ क्रमांक तक से	
9.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति । (प्रमाण पत्र में गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है ।)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
10.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र । (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है । अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
11.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र- 01 मूल प्रति । (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
12.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्लू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 का वैध ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
13.	दिव्यांग होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि का या पूर्व की तिथि का जीवित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
14.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
15.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति । अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन	पृष्ठ क्रमांक तक से	

	करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति संलग्न करें ।		
16.	अशासकीय सेवकों हेतु :- संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र	पृष्ठ क्रमांक तक से	
17.	मध्य प्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र - 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
18.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि के विवरण पत्रक की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
19.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र । कोई एक (आधार-कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)	पृष्ठ क्रमांक तक से	
20.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति । (03 प्रति)।	पृष्ठ क्रमांक तक से	
		पृष्ठ क्रमांक तक से	
		कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या :-	

आवेदक के हस्ताक्षर

* उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्टि-दो में यथा निर्धारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है । इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जाएगी।